न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 92/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2022/119**
दायर दिनांक :– 28.04.2022 निर्णय दिनांक :– **11.12.2024**

1. ओमप्रकाश पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. लक्ष्मणराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री ओप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 628/6 रकबा 6.8562 हैक्टेयर सरहद मौजा नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2075–2088 व भू–नक्शा संलग्न पेश है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थीण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी का टांके व पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण परिवार सहित बारह मास निवासी करते आ रहे है। लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत मनमाने तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण की खातेदारी की नक्शा में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरित कर दी है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। जबकि प्रार्थीगण का मौकेपर कब्जा काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा उक्त तरमीम बिना किसी विधि आदेश के एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरित कर दी है। इसलिये ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 628/6 के नक्शा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरित विधि विरूद्व तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 628/6 खसरा नम्बर 628/1 खसरा नम्बर 628/2 व 628 की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। अप्रार्थी तहसीलदार बाप के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की खातेदारों के कब्जा काश्त से भिन्न है। तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 628/6 खसरा नम्बर 628/1 खसरा नम्बर 628/2 व 628 की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)